न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर {सर्किट कोर्ट रीवा} म0प्र0।

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 3081-III/14

1. अच्छेलाल उर्फ गणेश | तनय श्री रामकिशोर
2. नन्हवा उर्फ भीमा |

3. मुस0 गंगा देवी पत्नी बेवा रामकिशोर
4. रामसुन्दर पिता पियारे बारी, सभी निवासी ग्राम चम्पागढ़ तह0 जबा, जिला रीवा, म0प्र0 -- निगरानीकर्तागण

ब ना म

1. रामजियावन | पिता रामअधार सिंह
2. रामसजीवन |
3. रामदयाल |
4. रामसनेही |

5. रामयतन | पिता रघुनाथ सिंह
6. रामभुवन |
7. रामसिरोमणि |

8. सुरेन्द्र सिंह | पिता वृजवासी सिंह
9. नारेन्द्र सिंह |

10. रणबहादुर सिंह तनय जागेन्द्र सिंह | सभी नि0 ग्रामचम्पागढ़ तह0
11. भूपेन्द्र सिंह तनय दलप्रताप सिंह | जबा, जिला रीवा, म0प्र0

-- उत्तरदातागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा {म0प्र0} प्र0क्र0 191/ए-6ए/अपील/12-13 आदेश दि0 21-7-14 रामजियावन व अन्य बनाम अच्छेलाल व अन्य।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0 1959ई0।

क्लर्क ... राजस्व मण्डल ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3081-III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	प्रकरण में मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक के निगरानीकर्ता की ओर से ग्राह्यता पर तर्क सुने गए एवं नस्ती में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर द्वारा उनके न्यायालयीन प्र.क्र. 191/A6A अपील/12-13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.7.14 (आक्षेपित आदेश) की प्रमाणित नकल के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि इस दिनांक को अनु. अधि. द्वारा दोनों पक्षों के धारा-5 के आवेदन पर तर्क सुनकर उनके समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों के प्रकाश में धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया है । मैं यह पाता हूँ कि अनु. अ. ने अपने आक्षेपित आदेश दि. 21.7.14 में यह तो लिखा है कि उन्होंने तर्क सुनने और अभिलेखों के अध्ययन के उपरान्त अपना निर्णय लिया है, किन्तु उन्होंने अपने इस आदेश में उन कारणों एवं आधारों का खुलासा नहीं किया जिन के फलस्वरूप ⊙ उन्होंने विचाराधीन धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का निर्यय लिया है ।	⊙ तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर

[कृ. प. उ.

R 3081-III/14 2 —

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शीघ्र इस कारणवश मैं अनु. अ. के आक्षेपित आदेश दि. 21.7.14 को एक बोलता हुआ आदेश नहीं पाए जाने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाकर निरस्त करता हूँ, एवं इन्हें (अनु. अ. — धौधर को) यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के प्र. क्रं. 191/A 6 A/अपील/12-13 में प्रस्तुत धारा-5 के आवेदन के संबंध में अपने निर्णय के कारणों एवं आधारों का खुलासा करते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करें। तदुपरान्त ऐसे बोलते हुए आदेश के अनुक्रम में प्रकरण में आगामी कार्यवाही भी विधि अनुसार एवं न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से करें। प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा. द. हो। (हस्ताक्षर) 23.10.15 सदस्य	

M ✓

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.